



भारतसरकार/GOVERNMENT OF INDIA

केन्द्रीय कृषिमशीनरीप्रशिक्षण एवंपरीक्षणसंस्थान/CENTRAL FARM MACHINERY TRAINING & TESTING INSTITUTE

ट्रैक्टरनगर, बुदनी (म0प्र0)/TRACTOR NAGAR, BUDNI (M.P.) 466 445

Website: <http://www.fmttibudni.gov.in>

Email: fmti-mp@nic.in

Tel: 07564-299003

GSTIN: 23AAAGC0890H1ZS

AN ISO-9001:2015 CERTIFIED INSTITUTE

दिनांक : 29.11.2023

ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप योजनांतर्गत ग्रेजुएट अप्रेंटिस (प्रशिक्षु) की भर्ती सम्बंधी सूचना

मौजूदा रिक्त स्थानों (कुल-06) में से 05 ग्रेजुएट अप्रेंटिस (कृषि अभियांत्रिकी) तथा 01 ग्रेजुएट अप्रेंटिस (लाइब्रेरी साइंस) हेतु स्थान हैं ।

१. आवेदन पत्रों की छंटनी एवं चयन निम्न लिखित आधार पर है -

- (क) सभी अभ्यर्थियों को अप्रेंटिसशिप पुराने पोर्टल <https://portal.mhrdnats.gov.in/> नये पोर्टल <https://nats.education.gov.in/> पर पंजीकृत होना अनिवार्य है । नये पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तिथि 20.12.2023 तक हैं । इसके बाद प्राप्त आवेदन इस भर्ती प्रक्रिया में मान्य नहीं होंगे ।
- (ख) अभ्यर्थी वर्ष 2021 में या उसके बाद उत्तीर्ण होने चाहिये । वर्ष 2020 में या उससे पहले उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र नहीं हैं ।
- (ग) अंतिम योग्यता सूची में शामिल अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से संस्थान में दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा । निम्नलिखित दस्तावेज भौतिक रूप से सत्यापित किये जाते हैं-
 - १० वीं की बोर्ड परीक्षा की अंकसूची और प्रमाण पत्र
 - ग्रेजुयेशन डिग्री की अंक सूची / डिग्री सर्टिफिकेट
 - आधार कार्ड
 - बचत बैंक खाता संख्या तथा पासबुक
 - राष्ट्रीय प्रशिक्षुता पोर्टल पर पंजीकृत पुष्टीकरण
 - उपरोक्त सभी दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित फोटोकॉपी
 - हाल ही में ली गयी पासपोर्ट आकार की दो फोटो
 - यदि आप स्नातक उत्तीर्ण
- (घ) यदि आप स्नातक उत्तीर्ण होने के उपरांत 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक खाली रहे हो, तो इस आशय का शपथ पत्र आपको नोटरी से सत्यापित कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है । शपथ पत्र में यह भी दर्शाना होगा की आपने स्नातक उत्तीर्ण करने के बाद किसी भी सरकारी / अर्द्धसरकारी / निजी प्रतिष्ठानों में किसी तरह की सेवा या कोई प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है । शपथ पत्र के अभाव में परीक्षा में उपस्थिति हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी ।

2. प्रशिक्षु प्रशिक्षण हेतु चयन परीक्षा के आधार पर किया जावेगा । परीक्षा में प्राप्तांक समान पाये जाने की स्थिति में चयन डिग्री के उत्तीर्ण होने के वर्ष की वरीयता पर तथावर्षभी समान होने पर डिग्री परीक्षा की मेरिट / प्राप्तांक के आधार पर किया जावेगा ।

3. उक्त रिक्त स्थानों के लिए आरक्षण प्रशिक्षु मण्डल के दिशा निर्देश अथवा प्रशुक्षिता नियम के अनुसार निर्धारित किया जावेगा।
4. वृत्तिका की राशि: वर्तमान में वृत्तिका रु. 9000/- (रुपये नौ हजार मात्र) प्रति माह है।
5. अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित करें कि पोर्टल पर दिया गया उनका नाम, उनके पिता / अभिभावक का नाम और उनकी जन्मतिथि आधार कार्ड में दी गयी जानकारी के समान हो। दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के समय अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भी लाना होगा।
6. सामान्यनिर्देश :
- (क) अभ्यर्थियों के साथ कोई डाक पत्राचार नहीं किया जायेगा। पत्राचार दिये गये ई-मेल से किया जायेगा।
- (ख) किसी भी रूप में पक्ष-प्रचार करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (ग) दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन में भाग लेने के लिये, या प्रशिक्षुता कार्यक्रम में शामिल होने के लिये कोई यात्रा भत्ता / महंगाई भत्ता नहीं दिया जायेगा।
- (घ) यह प्रशिक्षण, अप्रेंटिस अधिनियम 1961 तथा अप्रेंटिसशिप नियम 1972 के प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन करता है।
- (ङ) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण पूरा होने पर नियमित रोजगार प्रदान करने की कोई बाध्यता नहीं है।
- (च) प्रशिक्षुओं को अपने आने जाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- (छ) यदि किसी प्रशिक्षु ने लगातार खराब प्रदर्शन किया तो प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 अप्रेंटिसशिप नियम 1972 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार प्रशिक्षुता को समाप्त किया जा सकता है।
- (ज) शिक्षण का माध्यम हिंदी / अंग्रेजी होगा। शिक्षण का माध्यम कुछ भी हो किंतु शिक्षण के दौरान आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी शब्दावली का उपयोग किया जायेगा।
- (झ) आचरण और अनुशासन के सभी मामलों में प्रशिक्षु के.कृ.म.प्र.एवं प. संस्थान में प्रचलित नियमों और विनियमों द्वारा शासित होगा।

Apurva
30.11.23